शिवव्रत लाल बनाम् श्रीमती सुरेश कटियाल
खण्डपीठ सिविल विविध अपील संख्या- 63/2007

15.01.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा
माननीय न्यायाधिपति श्री आर.एस.चौहान

श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

अपीलार्थी के विरूद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 की धारा-24 के अन्तर्गत एकपक्षीय आदेश दिनांक-1.9.2006 को पारित किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

निर्विवाद रूप से अपीलार्थी की ओर से पारिवारिक न्यायालय, कोटा के समक्ष हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार किए बिना ही पारिवारिक न्यायालय,कोटा द्वारा आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है। प्रकरण के तथ्य एवं परिवर्तित परिस्थितियों में हम प्रार्थी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि वह पारिवारिक न्यायालय, कोटा के समक्ष उक्त एकपक्षीय आदेश को निरस्त कराने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। पारिवारिक न्यायालय, कोटा द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जावेगा।अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है। प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने तक पारिवारिक न्यायालय, कोटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक- 1.9.2006 की पालना स्थगित रहेगी।उक्त आदेश के साथ यह अपील निस्तारित की जाती है।

(न्या. आर.एस. चौहान) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**